फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम लक्ष्मणगढ़
बलदेव सिंह .... बनाम नब्बी खाँ वगैरह

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहमकार जो जारी हुआ
31.5.17	आज मय प्रा०पत्र वकील सायल द्वारा उपखण्ड न्यायालय हाजा मुताबिक के साथ पेश किया गया तथा गैर सायलान को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। इस पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः गैर सायलान को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 28-7-17 तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित ख० 280 नं० खाता 200 रकबा 0.1391 वाके ग्राम डबरी तह० गोविन्दगढ़ पर गैर सायलान को पाबन्द किया जाता है कि वो जबरन मिट्टी खोदकर भूमि को नाकाबिल काश्त न करे ना ही भूमि किस्म परिवर्तित करें एवं कोई निर्माण कार्य न करें। यदि उक्त आदेश के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो तो उपखण्ड न्यायालय हाजा पेश करें। अन्यथा उक्त आदेश तामील बाद स्थाई कर दिया जावे। आदेश जारी हो। गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 28-7-17 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०	
28-7-17	पत्रावली पेश हुई। वकील सायल उप० गैरसायल क्र. 5 की ओर से श्री रमेश गुप्ता द्वारा वकालतनामा पेश कर समय चाहा। अतः पत्रावली में प्रा.पत्र की नकल वकील गैरसायल को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24-8-17 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश प्रभावी रहेगा। [signature] उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
21.2.2024	पत्रावलि प्रस्तुत हुई। प्रकरण में प्रा०पत्र. पर दिनांक 31.5.17 से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होकर विचाराधीन है। पत्रावलि विगत तिथियों से बहस के चरण पर लम्बित है। प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्तागण की ओर से इस प्रार्थना पर बहस हेतु व अंतिम निस्तारण हेतु न्यायालय में कोई रुचि लेकर पैरोकारी नहीं कर रहे है इस बाबत न्यायहित में अनेकानेक बार अवसर दिया जा चुका है, परन्तु प्रार्थी/अप्रार्थी बहस हेतु तैयार होकर सामने नहीं है और प्रार्थना के पत्र के निस्तारण में कोई रुचि प्रकट नहीं कर रहे है। अत: यह उचित प्रतीत होता है आदेशिका दिनांक 31.5.2017 से जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए इस प्रार्थना को अदम पैरवी में खारिज किया जावे। अत: न्यायालय आदेशिका दिनांक 31.5.2017 से जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए इस प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम को खारिज करता हूँ आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावलि बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 21.2.24 (सुरेन्द्र प्रसाद) पीठासीन अधिकारी